उत्तर प्रदेश शासन

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1

संख्या 3895/9–आ–1–1997

लखनऊ : 28 जून, 2003

अधिसूचना

आदेश

प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के नियोजित विकास एवं आवास निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं के प्रभावी समाधान, आवास सेक्टर में निजी पूँजी निवेश को प्रोत्साहित करने तथा विकास प्राधिकरणों व उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद् की ''सुविधा प्रदायक'' भूमिका को सुदृढ़ बनाने हेतु शासनादेश संख्या 2713/9–आ–11– विविध /97 दिनांक 07.06.1997 द्वारा आवास विभाग के अधीन प्रदेश स्तर पर ''आवास बन्धु'' का गठन किया गया है, जिसके द्वारा विगत पाँच वर्षों में आवास सेक्टर से सम्बन्धित महत्वपूर्ण नीतियों के निर्धारण तथा निजी क्षेत्र के निवेशकों को मार्गदर्शन प्रदान करने एवं उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है फलस्वरूप आवास सेक्टर में निजी क्षेत्र के योगदान में वृद्धि हुई है।

ऐसा अनुभव किया जा रहा है कि विनियमित क्षेत्र में कार्यरत निजी क्षेत्र के निवेशकों/उद्यमकर्ताओं तथा उद्योगपतियों के समक्ष ऐसी कई समस्याएं आती है, जिनका समाधान विनियमित क्षेत्र स्तर पर भी सम्भव है। अतः प्रत्येक विनियमित क्षेत्र के लिए स्थानीय स्तर पर ''आवास बन्धु'' के गठन से निजी निवेशकर्ताओं की समस्याओं का समाधान विनियमित क्षेत्र में ही उपलब्ध हो जायेगा। इस व्यवस्था से नगर स्तर पर अन्तर्विभागीय इण्टरफेस एवं समन्वय के अभाव में उत्पन्न समस्त समस्याओं का समाधान विनियमित क्षेत्र स्तर पर सम्भव हो जाएगा तथा राज्य स्तरीय आवास बन्धु स्तर में केवल वहीं समस्याएँ प्रस्तुत होगी जिन का समाधान विनियमित क्षेत्र स्तरीय आवास बन्धु स्तर पर पर सम्भव नहीं होगा या जिनमें नीति विषयक निर्णय/मार्गदर्शन अपेक्षित होगा। अतः सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय उ.प्र. निर्माण कार्य विनियमन अधिनियम 1958 की

धारा 5 (एल.) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन निम्न निर्देश देते हैं :–

(क) प्रदेश के सभी विनियमित क्षेत्रों में ''विनियमित क्षेत्र स्तरीय आवास बन्धु'' समिति का गठन किया जाता है।

(ख) ''विनियमित क्षेत्र स्तरीय आवास बन्धु'' समिति के सदस्य निम्नानुसार होंगे :–

(i)	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
(ii)	अतिरिक्त जिलाधिकारी या विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (जो भी लागू हो)	सदस्य
(iii)	सहयुक्त नियोजक, सम्भागीय नियोजन खण्ड, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,	सदस्य
(iv)	अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद	सदस्य
(v)	परियोजनाधिकारी , डूडा	सदस्य
(vi)	राज्य विद्युत निगम के नोडल अधिशाषी अभियंता	सदस्य
(vii)	लोक निर्माण विभाग के नोडल अधिशाषी अभियंता	सदस्य
(viii)	जलसंस्थान/जल निगम के नोडल अधिशाषी अभियंता	सदस्य
(ix)	स्थानीय बिल्डर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य

(x) स्थानीय आर्कीटेक्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष सदस्य

(xi) सहकारी आवास समिति/ग्रुप हाऊसिंग कालोनी एसोसिएशन के अध्यक्ष सदस्य

(xii) सीनियर सिटीजन फोरम अथवा विकलांग एसोसिएशन के अध्यक्ष सदस्य

(xiii) राज्य महिला संगठन की अध्यक्ष/प्रतिनिधि सदस्य

(xiv) नियत प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र सदस्य सचिव

(xv) यदि कोई विषय किसी अन्य संस्था/विभाग से सम्बन्धित हो, तो उसके प्रतिनिधि को आवश्यकतानुसार अध्यक्ष की अनुमति से विशेष आमन्त्री के रूप में आमन्त्रित किया जा सकता है उदाहरणार्थ :–
मुख्य विकास अधिकारी, सामान्य प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उत्तर प्रदेश, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड का प्रतिनिधि, अध्यक्ष जिला पी.एच.डी.सी.सी.।

(ग) विनियमित क्षेत्र स्तरीय आवास बन्धु के कार्य–कलाप एवं दायित्व निम्न होंगे :–

(i) निजी क्षेत्र के निवेशकर्ताओं को आवासीय विकास/निर्माण में आ रही समस्याओं के निराकरण हेतु बैठक आयोजित कर निर्णय लेना,

(ii) आवासिकी से सम्बन्धित स्थानीय स्तर की लोक शिकायतों का समाधान,

(iii) न्यू–टाउनशिप डेवलपमेंट, आवासीय उपनिवेश, औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के सम्बन्ध में शासन की नीति के अनुरूप आवास विभाग (राज्य स्तरीय आवास बन्धु) को संस्तुति उपलब्ध कराना,

(iv) विनियमित क्षेत्रों में स्थापित होने वाले महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाईयों, आवासीय उपनिवेशों की प्रगति समीक्षा करना तथा राज्य स्तरीय आवास बन्धु को उनकी समस्याओं से अवगत कराना,

(v) आवास विभाग द्वारा निर्धारित नीतियों एवं नियामक सुधारों के स्थानीय स्तर पर प्रचार–प्रसार एवं अनुपालन सुनिश्चित कराने एवं अनुश्रवण में राज्य स्तरीय आवास बन्धु को सहयोग प्रदान करना,

(vi) समझौते के आधार पर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना।

(vii) सिटीजन चार्टर का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराना,

(vii) आवास क्षेत्र से सम्बन्धित समस्याओं एवं शिकायतों के प्रभावी समाधान हेतु कैम्पस् आयोजित कराना,

(घ) विनियोजित क्षेत्र स्तरीय आवास बन्धु समिति की बैठक प्रत्येक दो माह में एक बार आयोजित की जायेगी तिथि का निर्धारण अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

(ड़) बैठक का एजेण्डा तैयार करने हेतु समिति द्वारा पहले से ही निजी निवेशकों, उद्यमियों, निजी निर्माताओं से समस्याओं/शिकायतों का विवरण प्राप्त कर लिया जाएगा। बैठक की सूचना तथा एजेण्डा सभी सदस्यों को आवश्यक **कार्यवाही हेतु कम से कम एक सप्ताह पूर्व भेज दिया जाएगा जिससे समस्त प्रतिनिधियों द्वारा बैठक में समचित तैयारी सहित भाग लेना सम्भव हो सके।**

(च) समिति की बैठक का कार्यवृत्त एवं उसमें लिए गये निर्णयों के अनुपालन की सूचना अधिशाषी निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश, प्रथम तल, जनपथ मार्केट लखनऊ को नियमित रूप से प्रेषित की जाएगी।

(छ) ऐसे प्रकरण जिन पर विनियमित क्षेत्र स्तरीय आवास बन्धु की बैठक में निर्ण सम्भव न हो पाए, को पूर्ण विवरण सहित अधिशाषी निदेशक, उ.प्र. आवास बन्धु, को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाएगा।

(ज) उत्तर प्रदेश शासन के आवास अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 6153/9–आ–1 प्रोसेसिंग शुल्क / 2001 दिनांक 24.11.2001 के द्वारा की गयी व्यस्था ''विनियमित क्षेत्र स्तरी ''आवास बन्धु'' पर भी लागू माना जायेगा तथा प्रोसेसिंग शुल्क से होने वाली आय सम्बन्धित विनियमित क्षेत्र के खाते में जमा कराई जायेगी।

(झ) ''विनियोजित क्षेत्र स्तरीय आवास बन्धु'' पर आने वाला व्यय सम्बन्धित विनियमित क्षेत्र के द्वारा वहन किया जायेगा।

भवदीय

(जे. एस. मिश्र)

सचिव

संख्या 3895 (1) /9–आ–1–1997 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. निजी सचिव, मा. आवास मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव के अवलोकनार्थ।
3. प्रमुख सचिव/सचिव औद्योगिक विकास/नगर विकास/ऊर्जा/गृह/लोक निर्माण/विकलांग कल्याण/पर्यावरण/ग्राम्य विकास/सहकारिता/राजस्व नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग/महिला कल्याण एवं वाल विकास उ.प्र. शासन।
4. अध्यक्ष, जल निगम, उत्तर प्रदेश शासन।
5. समस्त विनियमित क्षेत्रों के नियंत्रक प्राधिकारी।
6. समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. आवास आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद।
9. समस्त विनियमित क्षेत्रों के नियत प्राधिकारीं
10. अधिशाषी निदेशक, उद्योग बन्धु।
11. अधिशाषी निदेशक, आवास बन्धु।
12. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक उत्तर प्रदेशं
13. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी आवास संघ, लि. लखनऊ।
14. अध्यक्ष, आर्कीटेक्ट एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश।
15. अध्यक्ष, इस्टेट बिल्डर्स एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(संजय भूसरड्डी)

विशेष सचिव